संख्या–436 / 62–1–2004–863 / 98

प्रेषक,

प्रभात चन्द्र चतुर्वेदी
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0,
9वां तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा अनुभाग–1

लखनऊ : दिनांक 25 मई, 2004

विषय : विभागीय तकनीकी सेवाओं एवं आंकड़ों / मानचित्रों के विपणन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–1309जी / भू0ज0वि0 / डी–20, दिनांक 26–2–2004 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. उक्त सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि श्री राज्यपाल भूगर्भ जल विभाग के तकनीकी सेवाओं एवं आंकड़ों, मानचित्रों के विपणन हेतु निम्नानुसार दरें निर्धारित करते हैं :–

क्र0 सं0	आंकड़ों का प्रकार	राज्य सरकार के राजकीय विभागों हेतु	केन्द्र सरकार के विभागों राज्य सरकार के निगमों / अर्धसरकारी संस्थाओं वाह्य सहायतित परियोजनाओं हेतु (नाबार्ड तथा केन्द्रीय भूजल परिषद को छोड़कर)	विश्व विद्यालय शोध संस्थानों हेतु	वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों एवं गैर सरकारी संस्थाओं हेतु
1	2	3	4	5	6
1.	भूजल स्तर के आंकड़े	शून्य	रू0 100.00 प्रतिवर्ष प्रति विकासखण्ड	रू0 50.00 प्रतिवर्ष प्रति विकासखण्ड	रू0 50.00 प्रतिवर्ष प्रति विकासखण्ड
2.	भूजल उपलब्धता के आंकड़े	शून्य	रू0 100.00 प्रतिवर्ष प्रति विकासखण्ड	रू0 50.00 प्रतिवर्ष प्रति विकासखण्ड	रू0 200.00 प्रतिवर्ष प्रति विकासखण्ड
3.	रासायनिक गुणवत्ता रिपोर्ट	शून्य	रू0 200.00 प्रतिवर्ष प्रति विकासखण्ड	रू0 100.00 प्रतिवर्ष प्रति विकासखण्ड	रू0 400.00 प्रतिवर्ष प्रति विकासखण्ड
4.	हाईड्रोजियोलाजिकल मानचित्र:				
अ–	ए–4 आकार के मानचित्र	शून्य मानचित्र	रू0 100.00 प्रतिवर्ष प्रति मानचित्र	रू0 50.00 प्रति मानचित्र	रू0 200.00

2. वाणिज्यिक, औद्योगिक, आवासीय एवं सड़क निर्माण आदि से सम्बन्धित गैर सरकार संस्थाओं के द्वारा भूजल विकास से सम्बन्धित "अनापत्ति प्रमाण–पत्र" प्राप्त करने हेतु रू0 5000.00 प्रति विकास खण्ड की दर से धनराशि देय होगी।

3. राज्य स्तरीय, जनपद स्तरीय एवं विकास खण्डों से सम्बन्धित उपरोक्तानुसार समस्त प्रकार के आंकड़े / रिपोर्ट / मानचित्र आदि विभाग के सभी क्षेत्रीय इकाइयों, खण्डीय, मण्डलीय एवं निदेशक कार्यालय में उपलब्ध रहेंगे। इनमें से किसी भी कार्यालय से किसी भी क्षेत्र के आंकड़े आदि प्राप्त किये जा सकेंगे।

4. उपर्युक्त आंकड़ों का विपणन निम्न प्रकार किया जायेगा :–

(1) विपणन हेतु उपर्युक्तानुसार निर्धारित धनराशि स्थानीय कोषागार में प्राप्ति पक्ष के 'लेखाशीर्षक – 0702–लघु सिंचाई–80–सामान्य–800–अन्य प्राप्तियाँ–01–अन्य प्राप्तियों" नामक मद में जमा की जायेगी।

(2) स्थानीय कोषागार में निर्धारित धनराशि जमा करने के उपरान्त आंकड़ों का विपणन भूगर्भ जल विभाग की क्षेत्रीय इकाइयों, खण्डीय, मण्डलीय एवं निदेशक कार्यालय से किया जायेगा।

(3) विदेशी संस्थाओं को आंकड़ो का विपणन शासन की अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त ही किया जायेगा।

भवदीय,

(प्रभात चन्द्र चतुर्वेदी)
प्रमुख सचिव।

संख्या –436(1) / 62–1–2004, तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. समस्त जिलाधिकारी / मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3. समस्त मण्डलीय / खण्डीय कार्यालय, भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0।
4. समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से,
ह0 / –
(गेन्दन लाल)
अनुसचिव।